

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संलग्नः- प्रशिक्षणपरिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय जाप:-

अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इडिया, नई दिल्ली द्वारा शिक्षक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में इनाम दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का नाम : 2787-MEENU COLLEGE OF PHARMACY

क्र०प्र० पाठ्यक्रम का नाम
1 DIPLOMA IN PHARMACYए०आई०सी०टी०इ०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
60परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-३ उत्तर प्रदेश शासन के प्र० संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-१ दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जाँच के विस्तार माननीय न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुक्रम सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ सम्प्रयोग अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुप्र संस्थान में समस्त सासपन (भूमि, भवन, तंत्र उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ सम्प्रयोग अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमावाली-2000, सेसेस्टर विनियमवाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करीगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही पर्याप्त छात्र/छात्राओं से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अंतिम छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीर्ष निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु यीस का पुनर्नियापण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ सम्प्रयोग सम्बुद्धता प्रवेश परिषद द्वारा आवृत्ति छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ सम्प्रयोग का समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सम्प्रयोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत याचिका/नियमों/अधिनियमों/आसानादेशों/निर्देशों एवं नियमों, प्राविधिक शिक्षा, ३०प्र०, सम्युक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ३०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिये बाधकारी है।
- ✓ यदि सम्प्रयोग का अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, सम्युक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा परिषद् विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध शब्द कोई वाद दायर किया जाता है तो तथा दोपर वाद के सबध में तथा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संभवी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संभवित संस्था को करनी होगी।
- ✓ सम्प्रयोग को सम्युक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग ग्रांट होने के पूर्व अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सम्प्रयोग का अध्यन टेलाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूएराइज पॉर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सञ्ज-सञ्जाता, उपकरण, पान्त किया जाने वाला शुल्क, घाजावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ सम्प्रयोग को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेंजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सम्प्रयोग यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्यावितरणालित पाठ्यक्रम को यथाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कारबंध गये अधिकारी, भूमि-भवन, फर्माचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तकनील संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कारबंधी की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्धता किया जाना) विनियमावाली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्माचर को परिषद् को परीक्षा के स्थालन के लिए परिषद् के अधिकार के रूप में रखेंगी।
- ✓ सम्प्रयोग के आधार स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्योगशाला, उपकरण एवं अन्य सञ्ज-सञ्जाता ए०आई०सी०टी०इ०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कारबंधी की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

प०स०- प्रशिक्षणपरिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि -

प्रधानाधार्य/नियंत्रक, MEENU COLLEGE OF PHARMACY

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संलग्न:- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2022/10091

लखनऊ: दिनांक: 31/10/2022

:कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०५० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- ३१/१०/२०२२ को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अवैदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० ५० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 2787-MEENU COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०इ०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट १९६२ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली १९९२, विनियमावली-२०००, सेमेस्टर विनियमावली-२०१६ तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लेन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० ३०१५००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु० २२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र २०२२-२३ हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, ३०५०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ३०५० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०५० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के तिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होंगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भ्रमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐंगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो तो कि संस्था में स्पस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को यत्यार्थ जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भ्रमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के तिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को औद्योगिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भ्रमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ए०आर० छान)

सचिव

पृष्ठ०- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2022/10092-10140

दिनांक: 31/10/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाधार्य/निदेशक, MEENU COLLEGE OF PHARMACY

(ए०आर० छान)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय जाप:-

अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०४० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- ०८/०८/२०२१ को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए नियमों का विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का नियम लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये नियमों के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० ४० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 2787-MEENU COLLEGE OF PHARMACY VIL-MAHUIPUR PO-MADARA NEAR CAMPUS OF SRI DIAMOND DEGREE COLLEGE HARDOI-241001

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	१०आई०सी०टी०इ०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

- ✓ सत्या ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सत्या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, संमेट्स्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय छुंगी ० पाठ्यक्रमों हेतु रु ३०१५००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु ४५०००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यमंत्री पाठ्यक्रम के अंतिरिक्त) हेतु रु २२५००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अंतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरों लागू होगी।
- ✓ सत्या का (उ०प० प्राविधिक शिक्षा समितिया तथा उप समितिया, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन कराना होगा।
- ✓ सत्या में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सत्या का समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ सत्या को ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, ३०४०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ३०४० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०४० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये वाप्त होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्यमंत्री पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सत्या स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के सबध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संभंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्यमंत्री पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठियाँ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी भूय पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपराक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

संविध

प०४०- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाधार्य/निदेशक, MEENU COLLEGE OF PHARMACY VIL-MAHUIPUR PO-MADARA NEAR CAMPUS OF SRI DIAMOND DEGREE COLLEGE HARDOI-241001



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव